संलग्नक - 01

पुस्तकालय का मानक

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक विषय के लिए पुस्तकें तथा पत्रिकाओं पर न्यूनतम आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत् होगा :-

स्नातक स्तर

क्रम	विषय/मद	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय (प्रतिवर्ष)
1.	पुस्तकालय फर्नीचर कार्ड स्टेशनरी रख रखाव आदि (500 छात्र संख्या तक)	50,000/-	5,000/-
2.	रसायन, भौतिक, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान तथा आई.टी. पाठ्यक्रम प्रति विषय हेतु पुस्तकों पर व्यय	20,000/-	3,000/-
3.	सांख्यिकी, भूगर्भ, गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रति विषय पुस्तकों पर व्यय	15,000/-	2,000/-
4.	कला संकाय के शेष प्रति विषय	10,000/-	2,000/-
5.	वाणिज्य कुल	50,000/-	5,000/-
6.	विधि संकाय	50,000/-	5,000/-
7.	कृषि कुल	75,000/-	7,000/-
8.	शिक्षा प्रशिक्षण	25,000/-	4,000/-
9.	पुस्तकालय में शब्द कोष व विविध पुस्तकों व शोध पत्रिकाओं हेतु (500 छात्र संख्या तक)	10,000/-	5,000/-

स्नाकोत्तर स्तर

क्रम	विषय/मद	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय (प्रति वर्ष)
1.	विज्ञान तथा कृषि का प्रत्येक विषय	75,000/-	5,000/-
2.	भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रत्येक विषय	45,000/-	5,000/-
3.	कला संकाय के शेष प्रति विषय	35,000/-	4,000/-
4.	वाणिज्य, विधि प्रत्येक	50,000/-	7,000/-
5.	शिक्षा प्रशिक्षण	35,000/-	5,000/-

संलग्नक - ०२

प्रयोगशाला के मानक

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक प्रयोगात्मक कार्य वाले विषय की प्रयोगशाला हेतु अपेक्षित आवर्तक/अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत् होगा :-

स्नातक स्तर

क्रम	विषय	प्रथम वर्ष में फर्नीचर स्तर पर व्यय (रु.)	प्रथम वर्ष में उपकरण/ चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय (रु.)	आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष (60 से 75 छात्र स्नातक तक भाग-1 में) (रु.)	आवर्तक व्यय में वृद्धि प्रति 20 छात्र पर (रु.)
1.	ड्राइंग पेंटिंग	10,000/-	12,000/-	2,000/-	500/-
2.	संगीत	2,000/-	15,000/-	2,000/-	500/-
3.	भूगोल, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान, प्रति विषय	15,000/-	20,000/-	2,500/-	500/-
4.	भौतिक, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान प्रति विषय	30,000/-	75,000/-	10,000/-	1,000/-
5.	रसायन विज्ञान (गैस व डिस्टिल्ड वाटर सहित)	40,000/-	1,50,000/-	15,000/-	1,500/-
6.	कम्प्यूटर विज्ञान बी.सी.ए. आदि	40,000/-	5,00,000/-	25,000/-	10,000/-
7.	भूगर्भ विज्ञान	30,000/-	40,000/-	5,000/-	500/-
8.	कृषि एग्रोनामी सांख्यिकी, कृषि प्रसार, कृषि तकनीकी, कृषि दुग्ध विज्ञान प्रति विषय	8,000/-	2,00,000/-	1,000/-	500/-
9.	कृषि पादप रोग विज्ञान, जेनेटिक्स उद्यान तथा कृषि रसायन प्रति विषय	15,000/-	15,000/-	2,000/-	500/-
10.	म्यूज़ियम प्रति विषय जहां अनिवार्य है	8,000/-	20,000/-	5,000/-	500/-
11.	अन्य प्रति अतिरिक्त कृषि विषय	7,000/-	10,000/-	2,000/-	500/-
12.	शिक्षा प्रशिक्षण (पूरे संकाय हेतु)	15,000/-	7,000/-	2,000/-	500/-

स्नातकोत्तर स्तर

क्रम	विषय	प्रथम वर्ष में फर्नीचर स्तर पर व्यय (रु.)	प्रथम वर्ष में उपकरण/ चार्ट माडल पर अनावर्तक व्यय (रु.)	आवर्तक व्यय प्रति 20 छात्र (रु.)	प्रति अतिरिक्त छात्र (रु.)
1.	विज्ञान तथा कृषि प्रत्येक विषय पर एक ब्रांच के साथ	50,000/-	2,00,000/-	25,000/-	3,000/-
2.	कला/शिक्षा संकाय के प्रत्येक विषय	8,000/-	25,000/-	4,000/-	500/-

महाविद्यालयों में गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु मानक

(शासनादेश संख्या 4557(क)/15-82(11)-3(30)/80 दिनांक 14.03.1984)

महाविद्यालयों के छात्र संख्या के आधार पर निम्नवत 03 श्रेणियों में विभक्त करते हुए उनमें शिक्षक कर्मचारियों के पदों के सृजन किये जाने हेतु निर्धारित मानक :

1. 'क' श्रेणी के महाविद्यालय - जहाँ छात्र संख्या 1500 से अधिक है।
2. 'ख' श्रेणी के महाविद्यालय - जहाँ छात्र संख्या 500 से अधिक और 1500 तक है।
3. 'ग' श्रेणी के महाविद्यालय - जहाँ छात्र संख्या 500 तक है।

कार्यालय के सामान्य पद

1. तृतीय वर्ग कर्मचारी :
   (क) 'ग' श्रेणी के महाविद्यालय के लिये :-
      (i) प्रधान लिपिक एवं लेखाकार - एक पद
      (ii) रुटीन लिपिक - 200 तक छात्र होने पर एक पद और अधिक होने पर दो पद।
   (ख) 'ख' श्रेणी के महाविद्यालय के लिये :-
      (i) प्रधान लिपिक - एक पद
      (ii) लेखाकार - एक पद
      (iii) आशुलिपिक - एक पद
      (iv) रुटीन लिपिक प्रति 200 छा.स. पर एक पद देय होगा। रुटीन लिपिक के कुल देय पदों में से 20 प्रतिशत पद वरिष्ठ सहायक के पद के वेतनमान में होंगे।
   (ग) 'क' श्रेणी के महाविद्यालय के लिये :-
      इस श्रेणी के महाविद्यालय में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 'ख' श्रेणी के महाविद्यालय के समान होगी, किन्तु यदि महाविद्यालय चाहे तो प्रधान लिपिक के पद के स्थान पर निर्धारित वेतनमान में कार्यालय अधीक्षक का पद रख सकता है। यदि महाविद्यालय की छात्र संख्या 2500 से अधिक हो तो निर्धारित वेतनमान में बर्सर का एक नया पद महाविद्यालय में मान्य होगा।
2. चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी :
   (i) यदि छात्र संख्या 100 से कम हो तो पाँच पद।
   (ii) छात्र संख्या 100 से अधिक होने पर एक दफ्तरी का पद भी देय होगा।
   (iii) 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर एक अतिरिक्त पद मान्य होगा।
   (iv) 400 से अधिक, प्रत्येक 200 की छात्र संख्या की वृद्धि पर एक सामान्य चतुर्थ वर्गीय पद देय होगा परन्तु छात्र संख्या 800 होने पर कुल अनुमन्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों में से दो पद स्वीपर का रखना आवश्यक है।

पुस्तकालय से सम्बन्धित पद

1. पुस्तकालयाध्यक्ष - प्रत्येक महाविद्यालय में एक पद।
2. उप-पुस्तकालयाध्यक्ष -
   (क) ऐसे महाविद्यालय में जहां छात्र संख्या 1000 से अधिक है - एक पद देय होगा।

(ख) ऐसे महाविद्यालय जहाँ छात्र संख्या 3500 से अधिक हो और कम से कम तीन विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था हो एक अतिरिक्त पद देय होगा।

3. कैटलागर - यह पद केवल उन महाविद्यालयों में निम्नांकित मानकों के आधार पर देय होगा जिन महाविद्यालयों में कम से कम तीन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन होता है -

(क) 1000 से अधिक छात्र संख्या पर - एक पद।

(ख) 4500 से अधिक छात्र संख्या पर - एक और पद।

4. पुस्तकालय लिपिक - रुटीन लिपिक के वेतनमान में -

(क) 300 से अधिक छात्र संख्या पर एक पद।

(ख) 300 की छात्र संख्या के ऊपर प्रत्येक 500 छात्रों की संख्या के पश्चात् एक अतिरिक्त पद परन्तु जहाँ बुक बैंक है वहाँ यह पद प्रत्येक 400 छात्रों की संख्या पर देय होगा।

(ग) जहाँ अध्यापकों के अतिरिक्त 20 या अधिक नियमित शोध छात्र पंजीकृत हों - एक अतिरिक्त पद।

5. पुस्तकालय परिचर - चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के वेतन मान में बुक लिफ्टर -

(क) प्रारम्भ में एक पद।

(ख) 300 की छात्र संख्या होने पर एक अतिरिक्त पद।

(ग) 300 की छात्र संख्या के पश्चात् प्रत्येक 500 की छात्र संख्या पर एक अतिरिक्त पद। परन्तु जहाँ बुक बैंक है वहाँ यह पद प्रत्येक 400 छात्रों की वृद्धि पर देय होगा।

6. बुक बाइन्डर - चतुर्थ श्रेणी के वरिष्ठ वेतनमान में एक हजार से अधिक छात्र संख्या होने पर केवल एक पद।

प्रयोगशालाओं से सम्बन्धित पद

1. प्रयोगशाला सहायक - रुटीन लिपिक के वेतनमान में -

(क) भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा गृह विज्ञान की कक्षाओं में उस विषय की स्नातक स्तर पर छात्र संख्या 120 होने पर स्टोर कीपर कम प्रयोगशाला सहायक - एक पद परन्तु 300 से अधिक छात्र होने पर प्रयोगशाला सहायक का एक अतिरिक्त पद देय होगा।

(ख) (i) रसायन विज्ञान - 200 तक छात्र संख्या - एक पद।

(ii) 201 से 400 तक की छात्र संख्या पर दूसरा पद तथा 400 से अधिक छात्र संख्या पर तीसरा पद।

(ग) अन्य प्रयोगात्मक स्नातक विषयों (कृषि, संगीत तथा ड्राइंग व पेंटिंग को छोड़कर) में स्टोर कीपर कम प्रयोगशाला सहायक का एक पद यदि कुल स्नातक छात्र संख्या 150 से अधिक हो, बी.एस-सी. में केवल कृषि रसायन तथा जेनेटिक तथा दुग्ध प्रयोगशालाओं में एक-एक पद (इस प्रकार कुल 03 पद)।

(घ) बी.एस-सी. (कृषि) में केवल निम्नलिखित - 9 प्रयोगशालायें पद सृजन एवं वेतन संदाय हेतु मान्य होगी।

1. कृषि रसायन, सोइल केमेस्ट्री एवं बायो केमेस्ट्री।
2. कृषि वनस्पति, जिनेटिस एवं पादप रोग।
3. पशुपालन, दुग्ध शास्त्र एवं दुग्ध रसायन।
4. हार्टीकल्चर और फूड प्रिजर्वेशन।
5. कृषि प्राणि विज्ञान एवं कीट विज्ञान।
6. एग्रोनामी।
7. कृषि प्रसार।

8. कृषि तकनीक एवं सोइल कन्जर्वेशन।

9. कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं गणित।

प्रयोगशाला सहायक पद ऊपर वर्णित क्रम (1), (2), (3) की प्रयोगशालाओं में ही मान्य होंगे और इस प्रकार कुल तीन पद अनुमन्य होंगे।

(ङ) कृषि संकाय में, स्नातकोत्तर स्तर पर प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विषय में प्रत्येक के लिए एक अतिरिक्त पद।

(च) रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाओं में 40 से अधिक छात्र संख्या होने पर एक अतिरिक्त पद।

(छ) ऐसी प्रत्येक स्नातकोत्तर प्रयोगशाला में जहाँ नियमित पंजीकृत शोध छात्र छः या अधिक होंगे वहाँ प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला परिचर का एक-एक पद शोध प्रयोगशाला हेतु पृथक से देय होगा।

2. प्रयोगशाला परिचर - निर्धारित वेतनमान

(क) प्रत्येक स्नातक प्रयोगशाला विषय में आरम्भ में एक पद।

(ख) दूसरा पद यदि छात्र संख्या 200 से अधिक हो।

(ग) रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गृह विज्ञान एवं कृषि के प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय में एक पद परन्तु रसायन विज्ञान में यदि स्नातकोत्तर स्तर पर एक से अधिक ब्रान्च है तो एक अतिरिक्त पद।

३. (i) रसायन विज्ञान में एक पद गैस मैन।

(ii) वनस्पति विज्ञान में एक पद माली।

(iii) भौतिक विज्ञान हेतु एक पद मैकेनिक-कम-इलेक्ट्रीशियन।

(iv) तथा प्राणि विज्ञान में एक पद एनीमल कैचर का अनुमन्य होगा।

यदि महाविद्याल में भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षायें हैं और शोध कार्य होता है तथा वर्कशाप उपलब्ध है तो आवश्यकतानुसार एक पद मैकेनिक, एक पद कार्पेन्टर, तथा एक पद ग्लास-ब्लोअर से अधिक हो वहाँ भी महाविद्यालय के भवन व आवश्यकताओं को देखते हुए इलेक्ट्रीशियन तथा कार्पेन्टर का एक-एक पद अनुमन्य होगा।

4. संगीत विषय में तबला संगतकार का एक पद देय होगा।

आर्थिक स्थिति के मानक

संस्था/सोसाईटी की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता के लिए संकाय/विषयवार संस्था के खाते में न्यूनतम नकद धनराशि का मानक निम्नवत् होगा :-

क्र.	संकाय/विषय	संस्था के खाते के लिए निर्धारित धनराशि
1.	स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषय हेतु	रु. 5.00 लाख
2.	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रु. 1.00 लाख
3.	स्नातक स्तर के विषय वाणिज्य संकाय हेतु	रु. 7.00 लाख
4.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पाँच परम्परागत विषयों हेतु	रु. 10.00 लाख
5.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के प्रत्येक नवीन पाठ्यक्रम हेतु	रु. 5.00 लाख
6.	स्नातक स्तर के कृषि स्नातक/बी.बी.ए./बी.सी.ए./वी.पी.ई. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
7.	विधि (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
8.	विधि (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
9.	एम.एड./एम.पी.डी. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 15.00 लाख
10.	बी.एड./बी.पी.एड. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 15.00 लाख
11.	बी.ए./बी.एड./बी.एस.एड. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख

विश्वविद्यालय अनापत्ति के प्रस्ताव के साथ पूर्व से संचालित सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी/निकाय के तीन वित्तीय वर्ष की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट/तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सोसाइटी की वार्षिक आय का मूल प्रमाण तथा बैंक जमा धनराशि के रूप में बैंक का अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाण स्वरूप संलग्न करेंगे।

प्राभूत

मानकानुसार निर्धारित प्राभूत जमा किये जाने एवं कुलसचिव के पक्ष में बंधक किये जाने की सप्रमाण स्थिति

प्राभूत की राशि

(1) स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों हेतु रु. 2.00 लाख
(2) स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु प्राभूत राशि रु. 50,000/-
(3) स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु रु. 50,000/-
(4) विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पांच परम्परागत विषयों हेतु रु. 3.00 लाख
(5) विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर बी.एस-सी. (कम्प्यूटर साइंस) बी.एस-सी. (इनफार्मेशन टेक्नोलाजी) आदि नवीन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए प्राभूत (क्रम 4 के अतिरिक्त) रु. 3.00 लाख
(6) विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु. 55,000/-
(7) स्नातकोत्तर स्तर पर कला एवं शिक्षा के प्रत्येक विषय हेतु रु. 75,000/-
(8) स्नातकोत्तर स्तर पर एम. काम. अथवा प्रत्येक प्रयोगात्मक विषयों हेतु रु. 2.00 लाख
(9) एल. एल-बी. (तीनवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु रु. 4.00 लाख
(10) एल. एल-बी. (पांचवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु रु. 6.00 लाख
(11) बी.बी.ए./बी.सी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रु. 3.00 लाख
(12) एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रु. 5.00 लाख
(13) एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रु. 3.00 लाख

भूमि

(1) संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
(2) उक्त भूमि का विवरण
  (क) जनपद
  (ख) तहसील
  (ग) ग्राम
  (घ) गाटा संख्या जिसके अंतर्गत भूमि/भूमि का भाग संस्था/महाविद्यालय के नाम अंकित है
  (ङ) यदि भूमि किसी प्राधिकरण से लीज पर ली गयी हो तो लीज डीड में उपलब्ध भूमि के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार वर्णन
(3) भूमि का मानक
  (1) नगर निगम क्षेत्र - 5,000 वर्गमीटर
  (2) नगर पालिका परिक्षेत्र - 7,000 वर्गमीटर
  (3) अन्य क्षेत्र - 20,000 वर्गमीटर

  शासनादेश संख्या - 743 मु.मं./सत्तर-2-2006-2(166)/2002 दिनांक 7 नवम्बर, 2006 के अनुसार दिनांक 12.10.2006 या उसके पश्चात नये महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु प्राप्त होने वाले अनापत्ति प्रस्ताव पर भूमि के मानक निम्नवत् हैं :-
    (क) नगर निगम क्षेत्र - 5,000 वर्गमीटर
    (ख) अन्य नगरीय क्षेत्र (नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र) - 5,000 वर्गमीटर
    (ग) ग्रामीण क्षेत्र - 10,000 वर्गमीटर
  (4) किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी

  कृषि महाविद्यालय 15 एकड़ भूमि
  (5) विधि पाठ्यक्रम
    (क) तीनवर्षीय हेतु - 1200 वर्गमीटर
    (ख) पंचवर्षीय हेतु - 1500 वर्गमीटर
    (ग) तृतीय एवं पंचवर्षीय सम्मिलित पाठ्यक्रम हेतु - 2000 वर्गमीटर
  (6) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए.आई.सी.टी.ई. के मानकानुसार अतिरिक्त भूमि का होना अनिवार्य है।
  (7) प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम मानकानुसार भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित होना अनिवार्य है।

---

(4) भवन का मानक
  (1) कला/विज्ञान संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों तक के लिए न्यूनतम छः व्याख्यान कक्ष - प्रत्येक कक्ष 85 से 90 वर्गमीटर में
  (2) प्रयोगशाला कक्ष - 80 वर्गमीटर
  (3) पुस्तकालय/वाचनालय कक्ष - 80 व.मी.